रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 23, 2016/चैत्र 3, 1938
No. 743] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 23, 2016/ CHAITRA 3, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2016

का.आ. 1213(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), कतिपय क्षेत्रों को द्वीप संरक्षण खंड के रूप में घोषित किया था और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना करने और उनके विस्तार, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे ;

और उक्त अधिसूचना के पैरा 3 की मद (घ) के अधीन शीर्ष 5 के उपखंड (ii) के अधीन तटीय विनियमन खंड अधिसूचना 1991 के अधीन पहले से ही अनुमोदित तटीय खंड प्रबंध योजनाएं विनिर्दिष्ट अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा 31 जनवरी, 2014 तक प्रयोग किए जाने के लिए अनुज्ञात की गई थीं;

और एकीकृत तटीय विनियमन खंड तथा एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना के तैयार करने की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उसे संघ राज्यक्षेत्रों के लिए अनुमोदन हेतु उनके अपनी अपनी प्रारूप एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना को प्रस्तुत करने में कुछ और अधिक समय लगेगा;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियमय, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि यह उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोक हित में है ;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (घ) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

द्वीप संरक्षण खंड अधिसूचना, 2011 के पैरा III की मद (घ) में "अवधि जिसके लिए एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजनाएं विधिमान्य होंगी" से संबंधित शीर्ष 5 के अधीन, उपमद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपमद रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(ii) तटीय विनियमन खंड अधिसूचना, 1991 के अधीन तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहले से ही अनुमोदित द्वीप के लिए तटीय क्षेत्र प्रबंध योजनाएं और जिसके लिए एकीकृत तटीय विनियमन खंड और एकीकृत द्वीप प्रबंध योजना द्वीप संरक्षण खंड अधिसूचना, 2011 के अनुसार तैयार नहीं की गई हैं, 31 जनवरी, 2017 तक प्रयोग में रहेगी ।"

[सं. जे. 17011/18/96-आईए-III]

बिश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें तत्पश्चात् अधिसूचना सं. का.आ. 2558(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 द्वारा संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 2016

S.O. 1213(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forest number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared certain areas as Island Protection Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zone;

And whereas, under sub-clause (ii) of heading 5 under item (D) of paragraph III of the said notification, the Coastal Zone Management Plans already approved under the Coastal Regulation Zone notification, 1991, were allowed to be used up to 31st January, 2014 by the Central Government by a specific notification;

And whereas after the review of the status of preparation of Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan, the Central Government is satisfied that it may take some more time for the Union territories to submit their respective draft Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan for approval;

And whereas the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notifications;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with clause (d) of sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the said notification, namely:-

In the said Protection Zone notification, 2011 in paragraph III, in item D, under the heading 5 relating to 'period for which ICRZ and IIMPs shall be valid', for sub-item (ii), the following sub-item shall be substituted, namely:

"(ii) The Coastal Zone Management Plans for the Island as already approved by the erstwhile Ministry of Environment and Forests under the Coastal Regulation Zone Notification, 1991 and for which the Integrated Coastal Regulation Zone and Integrated Islands Management Plan have not been prepared as per the said notification shall be used till the 31st January, 2017".

[No. J-17011/18/96-IA-III]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note : The Principal Notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide number S.O. 20(E), dated the 6th January, 2011 and subsequently amended vide notification number S.O. 2558 (E), dated the 22nd August, 2013.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.